

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या : 3/एल-02-35/2018-

/स्वा0, पटना, दिनांक : / / 2019

डा0 रविशंकर, नेत्र विशेषज्ञ-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल, पटना का विभागीय आदेश ज्ञापांक 751(3) दिनांक 19.09.2018 के प्रसंग में दिनांक 23.10.2018 से 08.11.2018 तक उपभोगित विदेश यात्रा अवधि को महालेखाकार, बिहार, पटना के ज्ञापांक LR: 250920180900298 दिनांक LR No. 0145/2018-19 द्वारा उपलब्ध कराये गये अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के आलोक में कुल-17(सतरह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. प्रस्ताव में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विभागीय आदेश सं0 888(5) दिनांक 11.07.2018 के आलोक में) का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :

383(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 7/3/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, पटना/डा0 रविशंकर, नेत्र विशेषज्ञ-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 7, 9 एवं 18(ए)/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जगदीश कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी